पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

भागलसलावट

गाँव - भागलसलावट

पंचायत - ओडवाडिया

तहसील - दोवडा, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

भागलसलावट गाँव का इतिहास

भागलसलावट गाँव में लोग अपनी कई पीढियों से रहते आ रहे है । गाँव में सागवाड़ा से कुछ लोग आये थे । वो यहाँ झोंपड़ीया बना कर रहने लगे और पास के ही देव सोमनाथ मंदिर में काम करते थे । धीरे धीरे बस्ती में अन्य समाज के लोग भी आये और यह लगभग 50 से अधिक घरों का गाँव का रूप ले लिया । यहाँ रहने वाले सभी लोग मजदूर थे जो देव सोमनाथ के मंदिर के लिए काम करते थे । उन्होंने ही इसे भागलसलावट का नाम दिया है । गाँव के पास से सोम नदी तथा सुरी नदी बहती है । जिससे गाँव की जलापूर्ति होती है ।

भागलसलावट गाँव का परिचय

भागलसलावट गाँव ओडवाडिया ग्राम पंचायत का एक राजस्व गाँव है, जो कि जिला मुख्यालय डूंगरपुर से 24 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा हुआ है । ओडवाडिया पंचायत में 4 गाँव है - ओडवाडिया, पारडा चोबीसा, भागलसलावट और गरडा । भागलसलावट गाँव के उत्तर दिशा में देवसोमनाथ, दक्षिण दिशा में रायणी, पूर्व दिशा में घोड़ी आमली और पश्चिम दिशा में खाबड़ा गाँव है । इसके अलावा निकटवर्ती गाँव है - गरडा, पारडा चोबीसा, ओडवाडिया, मोठ, बेरनिया ।

भागलसलावट गाँव में शिलालेख और गाँव सभा का गठन एक ही दिन 09/07/2018 को किया गया । हर माह एक निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक की जाती है । भागलसलावट गाँव में 60 घर है जिनकी आबादी लगभग 300 लोग है । गाँव में केवल एक ही फला है जिसे वार्ड नं. 7 दिया गया है । गाँव में एस.टी. जाति के अहारी और ओ.बी.सी. जाति के यादव समाज के लोग निवास करते है । सभी लोग खेतिहर किसान है । यहाँ सरकार के द्वारा पेसा प्रेरक नियुक्त किये गये है । गाँव में वागड़ मजदूर किसान संगठन के कार्यकताओं के द्वारा पेसा की जानकारी और जागरूकता का प्रसार करने के लिए बैठके और कार्य-शालाये आयोजित की जाती है । इस कारण गाँव में अधिकतर लोगों को पेसा कानून की जानकारी है । गाँव की पूरी जमीन का रकबा 25.79 हेक्टेयर है जिसमें कृषि योग्य जमीन, बिलानाम, चारागाह शामिल है । गाँव में जंगल की जमीन और बड़े पहाड़ बिल्कुल नहीं है ।

यातायात की सुविधा एवं स्थिति

भागलसलावट जाने के लिए डूंगरपुर के मुख्य बस स्टैंड से देवसोमनाथ जाने वाली बस से गाँव जाया जा सकता है । गाँव में 1 पक्की सड़क और 2 कच्ची सड़के है । गाँव में एक भी सी.सी. सड़क नहीं है । कच्ची सड़क भी गाँव के भीतर कुछ घरों में जाने के लिए है । गाँव की एकमात्र मुख्य पक्की सड़क गाँव के भीतर से देवसोमनाथ जाती है । गाँव में कोई बस स्टैंड नहीं है यह 2 किमी दूर देवसोमनाथ में है जहाँ से बस, जीप, ऑटो, जीप दूसरे गाँव में जाने के लिए मिल जाते है, लेकिन गाँव में केवल नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल या पैदल जाया जाता है। खरीदारी के लिए सबसे नजदीकी बाजार 2 किमी दूर

देवसोमनाथ और 14 किमी फलोज है । खरीदारी के लिए मुख्य बाजार डूंगरपुर 18 किमी दूर आना पड़ता है, जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरीदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरीदारी की जाती है।

पेयजल की सुविधा

गाँव में 4 कुएं और 10 हैंडपंप है और एक सार्वजनिक कुआं है । अभी वर्तमान में 2 कुएं और 6 हैंडपंप चालू है । 2 कुएं सूखे ही रहते है और चार हैंडपंप पाइप लिकेज और छेद होने के कारण बंद हो गये है । चालू कुएं भी इतना ही पानी उपलब्ध कराते है कि पशुओ के लिए पानी का प्रबन्ध हो जाता है । बारिश में ही इनमे पानी रहता है बारिश के बाद फरवरी तक पानी बहुत कम हो जाता है । चालू पेयजल स्रोतों के पानी में भी फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है जिस कारण बीमारियाँ हो जाती है लेकिन जानकारी के अभाव में गाँव के लोग इसी को उपयोग में लेते है । सार्वजनिक कुएं में पानी साल भर रहता है । लेकिन बिजली का कनेक्शन न होने से ज्यादा पानी नहीं मिल पाता है ।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव में कृषि योग्य जमीन कम ही है । गाँव में गेहूँ, मक्का, दलहन की खेती की जाती है । सिंचाई के पानी की कमी के चलते खाद्य ऊपज चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाती है। कृषि जमीन भी उबड़-खाबड़, छोटी पहाड़ीयों वाली है, समतल नहीं होने से उपज लेने में समस्या आती है । रोजगार के नाम पर मनरेगा में मजदूरी और दिहाड़ी मजदूरी करते है । इसके अलावा युवा लोग डूंगरपुर शहर में आते है और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे कपास के खेतों या आइसक्रीम फेक्ट्री में काम करते है। भागलसलावट गाँव से 2 लोग सरकारी कर्मचारी है ।

सिंचाई एवं पशुपालन

गाँव में सिंचाई के लिए कोई बड़े स्रोत नहीं है । गाँव के सीमा से लगती हुई सोम और सुरी नदी बहती है । लेकिन इसका पानी नहीं मिल पाता है । गाँव में 1 तालाब (डाकनिया तालाब), 2 चालू कुएं और 1 सार्वजनिक कुआं है लेकिन मध्य ग्रीष्म ऋतु में सभी जल स्रोतों में पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है और इनमे पानी की कमी हो जाती है । सुरी नदी पर कोई एनिकट भी नहीं बना है जिससे पानी गाँव में रोक पाए । दोनों कुएं कम गहरे है और रिंगवाल भी नहीं है । बारिश के बंद होते ही महीने भर में पानी खत्म हो जाता है । गाँव के दाकनिया तालाब भी कम गहरा है जो बारिश के मौसम में ही भरा रहता है । इन तालाबों और कुओं से पशुओ के पीने के पानी का बंदोबस्त किया जाता है । वर्तमान में पानी का स्तर 250 फीट से नीचे चला गया है जो की भविष्य में पानी को सहेजने के प्रति जागरूक न होने पर और भी गहरे में जाएगा । गाँव के लोग बकरी, गाय और भैंस जैसे दुधारू पशु पालते है । चारागाह जमीन बहुत ही कम है उसपर गाँव का कब्ज़ा कर लिया है इसपर जो चारा उगता है वो पशुपालन के लिए पर्याप्त नहीं है । खेती में भी चारा नहीं होता है । कई बार भूख के कारण पशुओ की मौत हो जाती है।

शिक्षा व स्वास्थय

गाँव में 1 प्राथमिक विद्यालय है । प्राथमिक स्कूल वर्तमान में 30 छात्रों पर 1 अध्यापक नियुक्त है स्कूल में कक्षा कक्ष कम है, दो कक्षाए एक साथ बैठती है । कमरे भी जर्जर हो गये है । खेल का मैदान तथा छात्र-छात्राओ के लिए अलग शौचालय नहीं है । स्कूल का परकोटा भी नहीं है । पीने के पानी के लिए हैंडपंप तक की व्यवस्था नहीं है । पीने का पानी बच्चों को घर से लाना पड़ता है । गाँव में 1 आंगनवाड़ी है जिसकी हालत ख़राब है ।

गाँव में सामान्य बिमारियों के उपचार के लिए कोई उपस्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सा सुविधा नहीं है यह 1 किमी दूर घोड़ीआमली गाँव में है । सरकारी हॉस्पीटल फलोज गाँव में है, जिसके लिये 108 की सुविधा नहीं है। मरीजों कों निजी वाहन से ले जाना पड़ता है, बडा हॉस्पीटल 24 किमी दूर डूंगरपुर में है।

सरकारी योजनाएँ

गाँव में पेंशन, राशन, आवास उज्ज्वला गैस कनेक्शन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है । गाँव के सभी घरों में बिजली की सुविधा है । गाँव के 50 प्रतिशत घरों को उज्जवला गैस कनेक्शन मिल चुका है। जिन लोगों गैस कनेक्शन मिला है उन्हें मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, जिससे लोगों को रात अन्धेरे में गुजारनी पड़ती है ।

भागलसलावट की चिन्हित समस्याओं का विवरण निम्न् प्रकार है-

प्राकृतिक संसाधन

गाँव का पूरा जमीन का रकबा ही 25.79 हेक्टेयर है । गाँव में जंगल और पहाड़ नहीं है और गाँव में चारागाह की जमीन और बिलानाम जमीन बहुत कम है, वहां पर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है । सभी जल संसाधन देखभाल और बारिश के पानी के संरक्षण की निति के अभाव में बर्बाद हो गये है ।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव के लोग अपनी कई पीढियों से यहाँ रह रहे है और खेती कर रहे है । गाँव में लोगों के पास उनके कब्जे की जमीन का खातेदारी हक नहीं है । कृषि भूमि के उबड़ खाबड़ होने के कारण समतलीकरण की आवश्यकता है । गाँव में पानी की सुविधा के लिए 2 कुएं, 1 सार्वजनिक कुआं और 1 छोटा तालाब है लेकिन गहराई कम होने और रिसाव के कारण तालाब में सालभर पानी नहीं रहता है। कुएं भी कम गहरे है और खुले है, रिंगवाल नहीं है । असिंचित खेतों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उनमें केवल बारिश की पानी से ही फसल की पैदावार हो पाती है । बारिश के पानी को रोकने के लिये एक भी एनीकट या चेकडैम नहीं है, जिससे गर्मियों के मौसम में पानी की कमी हो जाती है । गाँव में पानी का स्तर 250 फुट से नीचे है। सभी जल-स्रोतों में पानी फरवरी के बाद पानी बहुत कम हो जाता है । सार्वजनिक कुएं से साल भर मात्र पशुओ के लिए पानी मिल जाता है । पेयजल की व्यवस्था के लिए गाँव

में 10 हैण्डपम्प है जिसमे से 4 हैंडपंप गर्मी के मौसम में सूख जाते है। सभी हैण्डपम्प और बोरवेल का पानी फ्लोराइड से दूषित है। वर्षा के जल को संरक्षित करने के विषय की ओर हाल फिलहाल गाँव के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। गर्मी में ना तो पीने को पानी मिल पाता है ना ही सिंचाई का पानी मिल पाता है।

पशुपालन संबंधित समस्या

भागलसलावट में प्रमुखतया गाय, बैल, भैंस व बकरी पाली जाती है। दुधारू पशुओं से इतना ही दूध हो पाता है कि घर के छोटे बच्चों का काम चल जाये, आवश्यकता पड़ने पर गाँव में किसी दुकान से खरीदते है । गाँव में चरागाह की जमीन गाँव वालों के कब्जे में है । खेती में सिंचाई के पानी की कमी के कारण खेतों में पशुओं के प्र्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जाता है। जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरीद कर लाना पडता है। चारे की एक पुली या गटठर सात रूपये में खरीदते है । गाँव में किसी को भी पशुबाड़ा नहीं मिला है ।

कृषि एवं खाद्यान्न की समस्या

भागलसलावट गाँव में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति बारिश के मौसम में ही हो पाती है इस कारण फसल बारिश में उगा ली जाती है । गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है। सिंचाई के जो भी संसाधन है वे सारे जर्जर और बेकार स्थिति में है । गाँव में भू-जल स्तर 250 फुट से भी नीचे चला गया है। यदि भविष्य में भी वर्षा जल-संरक्षण के प्रति यही बेरुखी का आलम रहा तो आने 5-6 सालों में हालत और भी गंभीर हो सकते है । कुछ सालों बाद गाँव में पानी का स्तर और भी अधिक गहराई तक चला जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में जो स्थिति बारिश की मात्रा और पानी को ना सहेजने की प्रवृति है वो बनी रही तो गाँव में पीने तथा कृषि के लिए पानी का बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है । कृषि जमीन कम है और उबड़-खाबड़ और पहाड़ी है जिस पर खेती मुश्किल से हो पाती है । गाँव में सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिये प्रर्याप्त साधन भी नहीं है । गाँव में सार्वजनिक कुएं को छोड़कर बाकी सभी जल-संसाधन (कुएं, तालाब, नहर) गर्मी के मौसम में सूख जाते है। गाँव में खाने में मुख्यतः मक्का उपयोग में आता है इसके अलावा गेहूँ, मक्का, दलहन की खेती की जाती है, खेती में उपजा अनाज साल के चार या पांच माह ही चल पाता है, इसके पश्चात खाने के लिए राशन की आपूर्ति का विकल्प सरकारी गेहूँ है या अनाज खरीद कर लाना पड़ता है। सरकारी उचित मूल्य की दुकान 2 किमी दूर धावडी गाँव में है। राशन की दुकान पर गेहूं मिलता है, चीनी तथा केरोसीन त्यौहारों पर ही मिलता है। गाँव में ऐसे परिवार भी है जिनके राशन कार्ड बी.पी.एल. की खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जुड़े है ।

आवागमन की समस्या

गाँव में कुल 3 सड़के है । जिसमे 1 पक्की और 2 कच्ची सड़के है । गाँव के भीतर घरों में जाने के लिए कच्ची सड़क ही एक मात्र सहारा है । गाँव में केवल 1 सड़क पक्की है जो गाँव के बीच से निकल कर

देवसोमनाथ जाती है । गाँव के भीतर कच्ची सड़क पर मोटर साईकिल या पैदल ही जा सकते है। कच्ची सड़को और पगडण्डियों पर धूल उड़ने की समस्या आम है साथ ही बारिश में कच्ची सड़के कीचड़ से भर जाती है जिस कारण आने जाने में समस्या रहती है । गाँव में एक भी सी.सी.सड़क नहीं है । लेकिन गाँव के भीतर रहने वाले घर के लोग कच्ची सड़क की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित रहते है, खड्डों की वजह से अक्सर दुर्घटना की आशंका रहती है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर

भागलसलावट के प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या की तुलना में अध्यापकों की नियुक्ति कम की गयी है । अध्यापकों की कमी के कारण नामांकन दर भी कम है । प्राथमिक स्कूलों में कक्षा कक्ष कम है, बच्चों को बाहर बिठाकर पढ़ाया जाता है, कक्षाओ को एक साथ बैठा कर पढ़ाया जाता है । ना ही खेल का मैदान तथा शौचालय की हालत भी अच्छी नहीं है । छात्र-छात्राओ के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है । अध्यापक कमी के कारण पढाई अच्छे से नहीं होती है । पढाई अच्छी ना होने के कारण गाँव के बच्चो का सीखने और ज्ञान का स्तर भी काफी निम्न है । विद्यालय का परकोटा नहीं है । जिस कारण असामाजिक तत्व सक्रीय रहते है । छात्र-छात्राओ के लिए पीने के पानी के लिए हैंडपंप की सुविधा भी नहीं है । बच्चों को घर से पानी लाना पड़ता है । उच्च शिक्षा के लिये डूंगरपुर शहर में जाना पड़ता है, अधिकतर बच्चे रोजाना आते-जाते है । गाँव में 1 आंगनवाड़ी है जो जर्जर हालत में है और लोगो को ख़राब पोषाहार को लेकर समस्या है । गाँव में कोई चिकित्सा सुविधा या उपस्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है । बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए 108 जैसी सुविधा भी नहीं उपलब्ध है ।

आजिविका एवं रोजगार के साधनों की कमी

रोजगार की स्थिति भी काफी खराब है, गाँव में लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती करते है या फिर नरेगा में मिलने वाले काम करते है । गाँव के युवा जो थोडा बहुत पढ़ना लिखना जानते है वे गुजरात राज्य के अहमदाबाद, हिम्मतनगर, सूरत, मोडासा या महानगर बम्बई में मजदूरी करने के लिये जाते है। जहाँ उनको ज्यादातर नमकीन की फैक्ट्री में काम मिल जाता है। गाँव में नरेगा पर काम मिलता है। जिसमें गाँव की 80 प्रतिशत महिलायें जाती है मनरेगा में भी काम 35-40 दिन के लिए ही मिलता है । वर्तमान में मनरेगा में जो मजदूरी दी जा रही है वह भी 90 रूपये से कम दीदि जा रही है। कुछेक लोगों को काम करने के बाद मस्टरोल के रूपये नहीं मिले है। जिसके लिये जवाब मांगने पर बैंक खातों के स्थानान्तरण की बात कह कर टाल दिया जाता है।

अन्य

गाँव में 1 श्मशान घाट है लेकिन यह खुले में है उस पर टीन या छाया की व्यवस्था नहीं है न ही कोई बैठक व्यवस्था है और जाने के लिए रास्ता भी नहीं बना है । बस स्टैंड पर शौचालय नहीं है । गाँव में

बिजली के मनमाने ढंग से आने वाले ज्यादा बिल से भी लोग परेशान हो गये है । अक्सर बिना सूचना के बिजली कट जाती है । गाँव में किसी को पशुबाड़ा नहीं मिला है ।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नदी तालाब कुआं हैण्डपम्प	गाँव की सीमा पर एक नदी बहती है । गाँव में 1 तालाब है उसमे भी पानी बारिश के समय ही रहता है, क्योंकि दरारों में से पानी बह कर निकल जाता है और यह छोटा एवं कम गहरा है । गाँव में 2 चालू कुएं और 6 चालू हैंडपंप है 4 हैंडपंप में पाइप ख़राब होने और कम गहरे होने के कारण पानी नहीं आता है, जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। गाँव में सिंचाई और मवेशीयों के पानी के लिये 1 सार्वजनिक कुआ है गर्मी में मवेशीयों के पीने के पानी की समस्या हो जाती है। गर्मी में सभी जल-स्रोतों में पानी की कमी हो जाती है । बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है।	गाँव वासियों के अनुसार तालाब कों गहरा करके रिन्गवाल बनानी चाहिए । नदी से नहर निकालनी चाहिए । इससे खेतों में पानी की सुविधा अच्छी हो सकती है । छोटे छोटे चेकडेम बनाये जाए तो गाँव में जमीनी पानी का तो जलस्तर ऊंचा होगा सभी कुओं को गहरा करवाना चाहिए। दूषित पानी के प्रभाव से बचाव के लिए कुछ जगहों पर आर.ओ. प्लांट लगाने चाहिए ।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	खेती की जोत कम है, जमीन उबड़-खाबड़ है, जैसे छोटी पहाड़िया, पथरीली जमीन है। पानी की कमी के कारण खेती की सम्भावना केवल बारिश के मौसम में होती है । गाँव की बिलानाम जमीन और चारागाह भूमि पर गाँव वालों ने कब्ज़ा कर रखा है । लोगों को कब्जे की जमीन के पट्टे नहीं मिले है । गाँव में चारागाह भी है जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं।	गाँवसभा के द्वारा प्रस्ताव लेकर अपना खेत अपना काम योजना के तहत उबड़-खाबड़ जमीनों को समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। जमीन के पट्टे दिए जाये ।
सड़क पक्की सड़क सी.सी. सड़क	गाँव में 1 पक्की सड़क है जो अच्छी हालत में है । गाँव में जाने के लिए 2 कच्चे रास्ते भी है जो की काफी ज्यादा	यदि गाँव के सभी कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क में बदले जाये और सडको की संख्या में वृद्धि की जाये तो गाँव के

कच्ची सड़क	ख़राब हालत में है । जिसके कारण हादसों की सम्भावना बनी रहती है। गाँव में आने जाने के लिए साधन नहीं मिल पाते है ।	भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी।
प्राथमिक स्कूल	गाँव में 1 प्राथमिक विद्यालय है अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है । स्कूलों में खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । पीने के पानी की उचित एवं साफ़ व्यवस्था भी नहीं है । कमरे कम है । स्कूल का परकोटा भी नहीं बना है ।	गाँव सभा के द्वारा प्रस्ताव लेकर शिक्षा विभाग कों अध्यापकों की नियुक्ति के ज्ञापन दिया जाये । स्कूल के शौचालय की भी मरम्मत करवाई जा सकती है। स्कूल की बाउन्ड्री बना कर सुरक्षित किया जा सकता है । पीने के पानी के लिए आर.ओ. का प्रबन्ध किया जाये ।
श्मशान घाट	गाँव का श्मशान घाट खुले में है और पूरी तरह से टूट चुका है, ना तो वहां पर टीनशेड है ना ही चबूतरा है।	नए सिरे से निर्माण करवाना है और लकड़ी रखने के लिए भवन बनवाना है ।
आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी जर्जर और कमजोर हो गयी है	गाँववासियों के अनुसार इसे गिराकर नया आंगनवाड़ी भवन बनाना चाहिये ।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। सिंचाई के लिए 1 नाला है और बरसात का पानी गाँव में रोकने के लिए कोई एनिकट नहीं है तालाब के कम गहराई होने के कारण पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है, सिचाई के लिए नहर की सुविधा भी नहीं है । भू-जल का स्तर 250 फीट नीचे चला गया है । उन्नतशील बीज	खेतों को गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लेकर अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत समतलीकरण, बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेकडैम का निर्माण। घर और खेतों में पानी को रोकने के लिए टाके (पक्के खड्डे) बनवाना । गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता	**तात्कालिक**

			का अभाव होने से उत्पादन प्रभावित होता है ।	है। बंद हैंडपंप को चालू करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए ।	
2	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या अध्यापकों की कमी है । स्कूलों में खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा कमरों की कमी है । पीने के पानी के लिए टंकी और शुद्ध जल की उचित व्यवस्था नही है । विद्यालय में रात के समय गाँव के असामाजिक तत्व सक्रिय रहते है ।	गाँव में प्राथमिक में सभी व्यवस्थाये पूरी और अच्छी दी जाये । नए अध्यापको की नियुक्ति की जाये और अध्यापको को समय पर आने के लिए पाबंद किया जाना चाहिये । परकोटा बनाना और पीने के पानी के लिए छोटा आर.ओ. प्लांट लगाना ।	**तात्कालिक**
3	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में कुएं और हैंडपंप आधे से ज्यादा सूखे है या पानी नहीं आता है, जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। गाँव का जलस्तर 250 फिट से नीचे चला गया है। जिस कारण पानी की कमी हो जाती है । फरवरी माह तक पानी सूख जाता है	जिन कुओं में पानी खत्म हो गया है उन्हें गहरा करवाना । जो हैंडपंप बंद हो गये है जिनमे पानी कम आने लगा है उन्हें गहरा करवाना और पाइप बदलवाना । शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए गाँव में आर. ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । कच्चे-पक्के चेकडैम निर्माण करना । जिससे गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके	**दीर्घकालिक**

				जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इसके लिए गाँव सभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है ।	
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में रास्तों की कमी है । सबसे ज्यादा समस्या उन घरों की है जो गाँव के अंदरूनी हिस्से में रहते है जहाँ सड़के कच्ची है और मिटटी बारिश में कीचड़ में बदल जाती है ।	गाँवसभा कमेटी के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में बदलना और नई सड़के बनवाना । सड़क किनारे नालियों की व्यवस्था करना ।	**तात्कालिक**
5	**सरकारी योजनाओं की सहीं क्रियान्विति ना होना**	**व्यक्तिगत**	गाँव में आवास योजना में अभी भी कई लोगो को मकान नहीं बना है उनका नाम लाभान्वितों सूची में नहीं है और जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उन्हें दूसरी या तीसरी क़िस्त का भुगतान नहीं हुआ है। पेंशन में समस्या यह है कि गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-अलग होने से भी लोगों की पेंशन भी बंद है।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**
6	**खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	राशन की दुकान पास के गाँव में है । अक्सर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्ट न होने की समस्या आती रहती है । अनाज में केवल गेहूँ दिया जाता है, शक्कर और केरोसिन त्यौहार पर	राशन डीलर को पाबंद कर समय पर दुकान खोलने और पूरा राशन दिलवान और जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है उनके नाम योजना में जुड़वाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लेना ।	**तात्कालिक**

			मिलता है ।		
7	**आंगनवाड़ी केंद्र**	**सार्वजनिक**	लोगों को ख़राब पोषाहार की शिकायत है ।	गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराना । नयी आंगनवाड़ी निर्माण करवाना ।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths **शक्तियां**	**W- Weakness** **कमजोरी**	**O- Opportunities** **अवसर**	**T- Threats** **चुनौतियां**
आवागमन - कच्चे रास्ते पक्की सड़क	अंदरूनी भागों में जाने के लिए कच्चे रास्तों को सी.सी. नहीं करना। सी.सी. सड़क को मांग नहीं करवाना ।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी। समस्या को लेकर अधिक से अधिक लोगो का गाँव सभा में नहीं आना ।
जल नदी तालाब कुआं हैंड पंप बोरवेल	गाँव की सीमा से लगती हुई नदी से नहर की व्यवस्था नहीं है । बारिश के पानी को रोकने के लिए चेकडैम या छोटा एनिकट नहीं है । तालाब की पाल कच्ची है और गहरा भी कम है । जिससे गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है । कुओं को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी। जल संरक्षण के बारे में गाँव वालों में जागरूकता न होना ।	गाँव सभा में प्रस्ताव लेकर कच्चे और पक्के चेकडेम निर्माण किया जाये । बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं। सही और उचित तरीके से पानी निकालना ताकि जल स्तर एकदम से नीचे न जाये । गाँव सभा में इसके लिए प्रस्ताव लेना	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्य योजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।

		।	
आजीविका के साधन	गाँव में रोजगार के साधन का अभाव। मनरेगा में मजदूरी कम मिलना । अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं का अभाव ।	गाँव की सूखी पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। घरेलू उद्योग भी किये जा सकते है। कम पानी में होने वाली मौसमी व्यापारिक खेती से आय की जा सकती है ।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन के पट्टे ना होना । खेती में रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग । मिटटी की जाँच नहीं करवाना, पानी का खारापन से मिटटी कठोर हो रही है ।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँव की खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

- **नजरिया नक्शा**

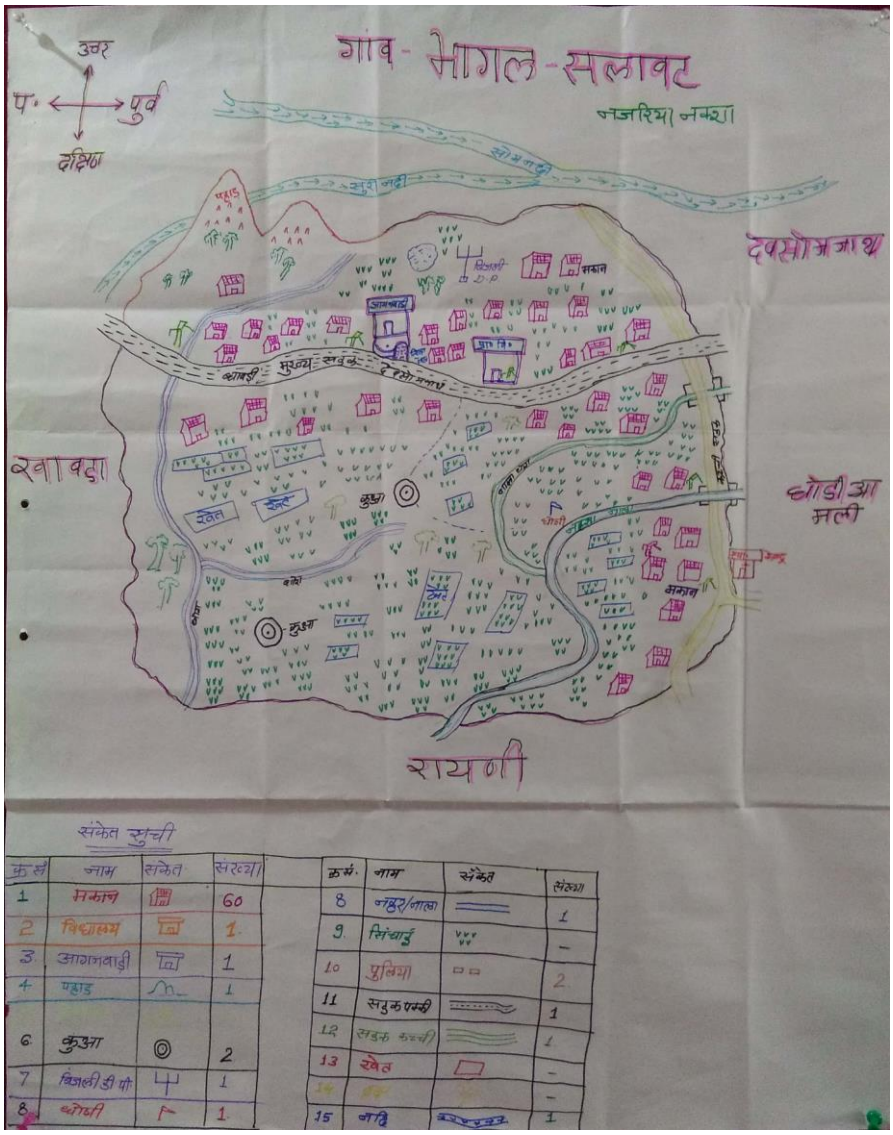

- **गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -**

प्रस्तावित कार्य	संख्या
पेंशन के सम्बन्ध में	
वृद्धा पेंशन	6
विधवा पेंशन	3
एकल नारी	1
विकलांग पेंशन	3
पालनहार योजना (6-18 वर्ष)	4

पी.एम., सी.एम. आवास निर्माण व बकाया भुगतान के सम्बन्ध में	22
शौचालय की बकाया राशि के सम्बन्ध में	3
प्राथमिक स्कूल के सम्बन्ध में कक्षा कक्ष का निर्माण खेल मैदान का परकोटा व समतलीकरण कमरों की छत मरम्मत पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था छात्राओ के लिए अलग शौचालय	
उप स्वास्थ्य की छत मरम्मत और बिजली कनेक्शन के सम्बन्ध में	1
सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में	1
रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में सी.सी. सड़क	 2
सरकारी राशन की दुकान के सम्बन्ध में	1
तालाब गहरीकरण व पाल मरम्मत के सम्बन्ध में	डाकनिया तालाब
नए हैंडपंप पुराने हैंडपंप मरम्मत	4 4
कच्चे चेकडेम निर्माण के सम्बन्ध में	12
आंगनवाड़ी निर्माण के सम्बन्ध में	1
वृक्षारोपण के सम्बन्ध में	3
सार्वजनिक कुआ गहरीकरण	1
<u>केटेगरी 4 के कार्य</u> खेत समतलीकरण व मेड़बंदी, रिंगवाल नया कुआं / कुआं गहरीकरण मरम्मत एवं पशुवाडा निर्माण खेत तलावडी	 39
श्मशानघाट निर्माण के सम्बन्ध में	1
नहर निर्माण के सम्बन्ध में	5
आपसी विवाद निपटारा के सम्बन्ध में	
सामाजिक कुरीतियों पर रोक के सम्बन्ध में	
काबिज भूमि पर दावा फाइल लगाने के सम्बन्ध में	

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

Date
28/8/2018

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ...ओडवाडिया.....

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ...भागल सलावट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

गांव गणराज्य गांव सभा
क्रमांक.......
दिनांक......
भागल सलावट प.स.दोवडा

ग्राम पंचायत ओडवाडिया
पं.स. दोवडा जि. डूंगरपुर

अध्यक्ष
सचिव
गांव गणराज्य गांव सभा
भागल सलावट पं.ओडवाडिया
पं.स.दोवडा जि.डूंगरपुर

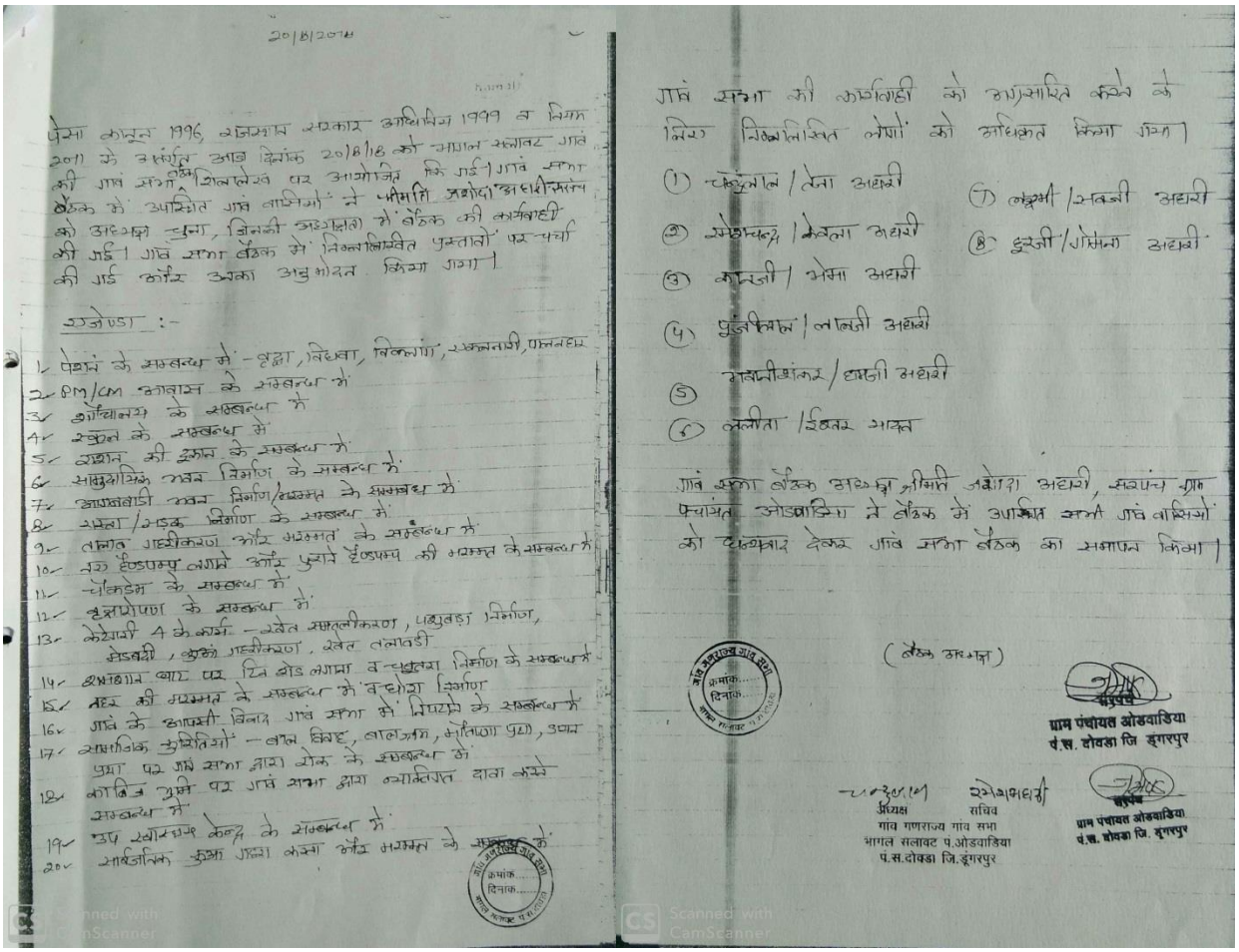

20/8/2018

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक 20/8/18 को भागल सलावट गांव की गांव सभा बैठक शिलालेख पर आयोजित कि गई। गांव सभा बैठक में उपस्थित गांव वासियों ने श्रीमति जशोदा अहारी को अध्यक्ष चुना, जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गई। गांव सभा बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा :-

1. पेंशन के सम्बन्ध में - वृद्धा, विधवा, विकलांग, एकलनारी, पालनहार
2. PM/CM आवास के सम्बन्ध में
3. औषधालय के सम्बन्ध में
4. स्कूल के सम्बन्ध में
5. राशन की दुकान के सम्बन्ध में
6. सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में
7. आंगनबाडी भवन निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में
8. रस्ता/सड़क निर्माण के सम्बन्ध में
9. तलाब गहरीकरण और मरम्मत के सम्बन्ध में
10. नए हैण्डपम्प लगाने और पुराने हैण्डपम्प की मरम्मत के सम्बन्ध में
11. चेकडेम के सम्बन्ध में
12. वृक्षारोपण के सम्बन्ध में
13. केटेगरी 4 के कार्य - खेत समतलीकरण, पशुबाड़ा निर्माण, मेडबंदी, कुआं गहरीकरण, खेत तलावडी
14. श्मशान घाट पर टिन शेड लगाना व चबुतरा निर्माण के सम्बन्ध में
15. नहर की मरम्मत के सम्बन्ध में व घोरा निर्माण
16. गांव के आपसी विवाद गांव सभा में निपटाने के सम्बन्ध में
17. सामाजिक कुरितियों - बाल विवाह, बालश्रम, मौताणा प्रथा, दापा प्रथा पर गांव सभा द्वारा रोक के सम्बन्ध में
18. काबिज भूमि पर गांव सभा द्वारा व्यक्तिगत दावा करने सम्बन्ध में
19. उप स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में
20. सार्वजनिक कुआं गहरा करना और मरम्मत के सम्बन्ध में

गांव सभा की कार्यवाही को आयोजित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया गया।

(1) चंदूलाल / तेजा अहारी
(2) रमेशचन्द्र / केवला अहारी
(3) कानजी / भेमा अहारी
(4) पुंजीलाल / लालजी अहारी
(5) भवानीशंकर / धनजी अहारी
(6) ललीता / ईश्वर भगत
(7) लक्ष्मी / सवजी अहारी
(8) हुरजी / गोमना अहारी

गांव सभा बैठक अध्यक्ष श्रीमति जशोदा अहारी, सरपंच ग्राम पंचायत ओडवाडिया ने बैठक में उपस्थित सभी गांव वासियों को धन्यवाद देकर गांव सभा बैठक का समापन किया।

(बैठक अध्यक्ष)

सरपंच
ग्राम पंचायत ओडवाडिया
पं.स. दोवडा जि डूंगरपुर

अध्यक्ष — सचिव
गांव गणराज्य गांव सभा
भागल सलावट पं.ओडवाडिया
पं.स.दोवडा जि.डूंगरपुर

गांव गणराज्य गांव सभा क्रमांक.... दिनांक.... भागल सलावट पं.ओ.

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1. रमेशचन्द्र अहारी 8890922799
2. चंदूलाल अहारी 9950646457
3. हुरजी अहारी
4. कानाजी अहारी